(55)

समक्ष- श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर कैम्प सागर म.प्र.

निग- 1197-III-14

रामभजन सिंह तनय स्व0श्री बल्दूसिंह,

निवासी ग्राम सड़कर तह0चंदला जिला छतरपुर ... आवेदक

B.O.R.
25 MAR 2014

।।बनाम।।

म.प्र. शासन ... अनावेदक

निगरानीअंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा.सं. 1959

विरूद्ध अपर कलेक्टर छतरपुर के प्र0क्र0129/स्वप्रेरणा निगरानी/ 2012-13 में पारित आदेश दि0 27.01.2014 से दुखित होकर

कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म.प्र.)

57
26-3-14

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना है :-

1- यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि आवेदक पिता बल्दूसिंह निवासी सड़कर का ग्राम सड़कर में स्थित भूमि ख नं. 863 र 0.138हे0. ख नं. 865 रकवा 0.352 हे0 कुलकिता दो कुल रकबा 0.470हेक्टे पर आवेदक के पिता का कब्जा वर्ष 1980 के पूर्व से होने के कारण उसने म.प्र कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिक का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के तहत उक्तभूमि व्यवस्थापित किए जाने बावत विधिवत रूप से आवेदनपत्र नायब तहसीलदार बछौन तह0 लौड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसपर नायब तहसीलदार ने अ न्यायालय में प्रकरण क्र. 226/अ-19(4) वर्ष 87-88 दर्ज किया तथा प्रकरण विधिवत रूप से इश्तहार जारी किया। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति ना आने पर प्रकरण में कब्जे के सम्बंध में साक्ष्य ली गई तथा पटवारीप्रतिवेद बुलाया गया तत्पश्चात् आवेदक की पात्रता के सम्बंध में जांच करते हुए आवे के पिता को पात्र पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 03.02.89 को पट्टा जारी किया गया, उक्त पट्टे के विरूद्ध निर्धारित अवधि में कोई अपील या निगरानी ना होने के कारण उक्त आदेश अंतिम

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—1197—तीन / 2014 जिला—छतरपुर

रामभजन सिंह विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक अपील 129 / स्व.निगरानी / 2012—13 में पारित आदेश दिनांक 27—01—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04—11—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	